बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

NOTICE TO THE BASIC SAVING BANK DEPOSIT-SMALL ACCOUNTS CUSTOMERS

"**Basic Saving Bank Deposit -Small Accounts**" (SB136) are being opened for those persons who do not possess Officially Valid Documents (**OVDs**) to enable them for doing basic banking transaction within following limits. The account shall remain operational initially for a period of twelve months which can be extended for a further period of twelve months, provided the account holder applies and furnishes evidence of having applied for any of the OVDs during the first twelve months of the said account.

1. The aggregate of all credits in a financial years does not exceed ₹1,00,000/- (₹ One Lakh).
2. The balance at any point of time does not exceed ₹50,000/-(₹ Fifty Thousand).
3. Maximum of 4 withdrawals are allowed in the accounts in a month.
4. The Aggregate amount of all withdrawals and transfers in a month does not exceed ₹10000/-(₹ Ten Thousand).

In this context Bank wish to implement the following restrictions and bar operations through Alternate Delivery Channels (ADCs) in these accounts with effect from 01st April 2022.

A. Issuance of Cheque book is not allowed for the account and Cheques already issued and comes for payment on or after 01.04.2022 are not allowed for payment irrespective of funds position.
B. Cheques issued by others will not be collected in the account
C. Debit / ATM card will not be functional
D. Inward credits via RTGS, NEFT, IMPS, AEPS and UPI are not allowed
E. Outward debits via RTGS, NEFT, IMPS, UPI, AEPS are not allowed
F. Mobile Banking (bob World) facility will be discontinued
G. Baroda Connect – registration and transactions (Net Banking) are not allowed

The following transactions only will be allowed in "Basic Saving Bank Deposit -Small Accounts", subject to transaction limits as prescribed by RBI mentioned above.

- Cash Deposit at branches.
- Cash Withdrawal at branches.
- Fund transfer at branches both debits and credits.
- **Credit of Government grants, Welfare benefits allowed in "Small Account: without subject to transaction limits prescribed by RBI. Hence, DBT credits via PFMS (account based**) inward credits **received from government** without transaction restrictions**.**

Hence, customers maintaining "Basic Saving Bank Deposit-Small account" are requested to visit their base branch with KYC documents and get their account converted to full KYC Saving Bank account to have all facilities associated with normal Savings Bank accounts.

Bank is not responsible for any cheques / remittances (Inward or Outward) rejected/Non-Functional of Alternate Delivery channels from 01st April 2022 onwards as stated above.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बुनियादी बचत बैंक जमा -लघु खाता धारक ग्राहकों के लिए नोटिस

"बुनियादी बचत बैंक जमा-लघु खाते" (SB136) ऐसे व्यक्तियों के लिए खोले जाते हैं जिनके पास आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) नहीं हैं, ताकि वे निम्नलिखित सीमाओं के भीतर सामान्य बैंकिंग लेनदेन कर सकें. यह खाता आरंभ में बारह माह की अवधि के लिए चालू रहेगा, जिसे अगले बारह माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि खाताधारक उक्त खाते के पहले बारह माह के दौरान किसी भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) के लिए आवेदन करता है और किए गए आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है.

1. एक वित्तीय वर्ष में सभी जमाओं की कुल राशि ₹1,00,000/- (₹ एक लाख) से अधिक न हो.
2. किसी भी समय खाते का शेष ₹ 50,000/- (₹ पचास हज़ार)से अधिक न हो.
3. एक माह के दौरान खाते में अधिकतम 4 आहरण की अनुमति है.
4. एक माह में सभी आहरण और अंतरण की कुल राशि ₹10,000/- (₹ दस हज़ार)से अधिक न हो.

इस संदर्भ में बैंक ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल, 2022 से इन खातों में वैकल्पिक वितरण चैनलों (एडीसी) के माध्यम से निम्नलिखित प्रतिबंधों और परिचालन संबंधी रोक को लागू किया जा रहा है.

1. खाते के लिए चेक बुक जारी नहीं की जावेगी और यदि चेक पहले से जारी किए गए हैं और दिनांक 01.04.2022 को या उसके बाद भुगतान के लिए प्राप्त होते हैं तो निधि होने की स्थिति के बावजूद भी भुगतान की अनुमति नहीं होगी.
2. दूसरों द्वारा जारी किए गए चेक खाते में जमा नहीं किए जाएंगे.
3. डेबिट / एटीएम कार्ड सक्रिय नहीं रहेंगे.
4. आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, एईपीएस और यूपीआई के माध्यम से आवक क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी.
5. आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, एईपीएस के माध्यम से जावक डेबिट की अनुमति नहीं होगी.
6. मोबाइल बैंकिंग (बॉब वर्ल्ड) की सुविधा बंद कर दी जाएगी.
7. बड़ौदा कनेक्ट - पंजीकरण और लेनदेन (नेट बैंकिंग) की अनुमति नहीं होगी.

उपर्युक्त उल्लिखित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित लेनदेन सीमाओं के अधीन " बुनियादी बचत बैंक जमा-लघु खातों" में केवल निम्नलिखित लेनदेन की अनुमति होगी.

1. शाखाओं में नकदी जमा.
2. शाखाओं में नकदी आहरण.
3. शाखाओं में डेबिट और क्रेडिट दोनों प्रकार से निधि अंतरण.
4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेनदेन सीमा के बिना "लघु खातों" में सरकारी अनुदान, कल्याणकारी लाभ के क्रेडिट की अनुमति हैं. इसलिए सरकार से पीएफएमएस (खाता आधारित) आवक क्रेडिट के माध्यम से डीबीटी क्रेडिट लेनदेन प्रतिबंध रहित है.

इसलिए, बुनियादी बचत बैंक जमा -लघु खाता धारक ग्राहकों से अनुरोध है कि वे केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी आधार शाखा से संपर्क करें और सामान्य बचत बैंक खातों से जुड़ी सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने खाते को पूर्ण केवाईसी बचत बैंक खाते में रूपांतरित करवाएं.

बैंक उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से अस्वीकृत किसी भी चेक / प्रेषण (आवक या जावक) / वैकल्पिक वितरण चैनलों के सक्रियण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.

प्रधान कार्यालय – वित्तीय समावेशन एवं सीएसआर, चौथा तल, " बड़ौदा भवन" , आर. सी दत्त. रोड, अलकापुरी, वडोदरा-390007 .भारत.
Head Office- Financial Inclusion & CSR, 4th Floor, "Baroda Bhawan", R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara-390007. INDIA
फो./**Ph**: 0265- 2316406 / 07, ई-मेल / **E mail**: fic.bcc@bankofbaroda.com , वेब / **Web**: www.bankofbaroda.co.in